(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड I में प्रकाशित किया जाना है)

फ़ा. सं. 06/25/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन,
5-संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

प्रारंभ सूचना
मामला संख्या: एडी (ओआई)-25/2026

विषय: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन गणराज्य और दक्षिण कोरिया से थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत.

1. एफ. संख्या 06/25/2026-डीजीटीआर: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह नियम, 1995) (जिसे आगे 'नियम' कहा गया है) के संदर्भ में, भारतीय थर्मल पेपर निर्माता एवं संबद्ध उद्योग संघ ('आवेदक') (जिसे आगे 'आवेदकों' कहा गया है) ने संयुक्त राज्य अमेरिका ('यूएसए'), चीन पीआर और दक्षिण कोरिया ('दक्षिण कोरिया') से आयातित "थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर" पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा गया है) के समक्ष आवेदन किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

2. आवेदन में वर्णित उत्पाद "थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर" है (दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है)। थर्मल पेपर में एक पारदर्शी डाई होती है जो गर्मी लगने पर रंग (आमतौर पर काला) में बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, थर्मल पेपर एक रिकॉर्डिंग माध्यम है जिसे थर्मल प्रिंटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्याही का उपयोग किए बिना, गर्मी का उपयोग करके चित्र या पाठ बनाते हैं।

3. थर्मल पेपर में एक बेस पेपर होता है जिस पर कई परतें चढ़ाई जाती हैं, जिनमें एक प्रीकोट परत और एक थर्मल परत शामिल होती है, जिसमें एक विशेष रासायनिक मिश्रण

होता है। हालांकि अधिकांश थर्मल पेपर काले रंग में चित्र बनाते हैं, लेकिन नीले, लाल या हरे जैसे अन्य रंग भी उपलब्ध हैं। इस उत्पाद का उपयोग एटीएम रसीदों, बस टिकटों, रेलवे टिकटों, बोर्डिंग पास, खुदरा बिल रसीदों, उपयोगिता बिलों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड मशीन रसीदों, लेबलिंग और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। अनुमान है कि थर्मल पेपर का लगभग 70% हिस्सा रसीदों के लिए उपयोग किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत उपशीर्षक 4811 के अधीन वर्गीकृत है। यह उत्पाद एचएस कोड 48119093, 48119094, 48119095, 48119096 और 48119099 के अंतर्गत आयात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ आयात उपशीर्षक 48119011 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. इस जांच से संबंधित हितधारक, यदि कोई हों, तो इस जांच के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप की इकाई मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) या किलोग्राम (किग्रा) है।

ख. <u>लेख को लाइक करें</u>

7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के शुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। तकनीकी और व्यावसायिक रूप से ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देशों से आयातित उत्पादों के समान है।

ग. <u>विषय देश</u>

8. वर्तमान जांच संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), चीन गणराज्य और दक्षिण कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद की कथित डंपिंग के संबंध में है।

घ. जांच की अवधि

9. आवेदकों ने 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक (12 महीने की अवधि) को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकरण ने इसे जांच अवधि के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच अवधि शामिल हैं।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन इंडियन एसोसिएशन ऑफ थर्मल पेपर मैन्युफैक्चरर्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। इस एसोसिएशन में 16 सदस्य हैं, जिनमें से 14 विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। एम/एस विपुल केमिकल्स इंडिया प्रा. लि., एम/एस नाथ इंडस्ट्रीज लि., तथा एम/एस शेरी स्पेशियलिटी पेपर्स प्रा. लि. ने व्यापार सूचना 05/2021 के तहत निर्धारित अनुसार आवश्यक क्षति संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। चार अन्य उत्पादक, अर्थात् एम/एस परफेक्ट कोटेड इंडिया प्रा. लि., एम/एस के पेपर टेक प्रा. लि., हरिश एक्रो पॉलिमर्स प्रा. लि. तथा सुपरटेक पेपर कोट्स ने वर्तमान आवेदन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किए हैं। भारत में थर्मल पेपर के निर्माता मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों से बने हैं।

11. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकरण ने नोट किया कि यह संघ भारत में समान उत्पाद के कुल उत्पादन के ९०% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। उन कंपनियों का कुल उत्पादन, जिन्होंने प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तथा जिन कंपनियों ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है, भारत में पीयूसी के कुल घरेलू उत्पादन का ५०% से अधिक है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि वे न तो विषयगत देशों में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और न ही भारत में विषयगत वस्तुओं के किसी आयातक से। आवेदक ने कहा है कि आवेदक कंपनियों में से किसी ने भी विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

12. तदनुसार, तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आवेदक कंपनियाँ, अर्थात् एम/एस विपुल केमिकल्स इंडिया प्रा. लि., एम/एस नाथ इंडस्ट्रीज लि. तथा एम/एस शेरी स्पेशियलिटी पेपर्स प्रा. लि., नियम 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करती हैं, तथा यह आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थायीत्व (standing) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में विषयगत वस्तुओं के लिए सत्यापनीय घरेलू विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अभाव में, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का उचित समायोजन किया गया है, तथा उचित लाभ भी जोड़ा गया है।

14. चीन पीआर के संबंध में, आवेदकों ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माने और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 7 के अनुरूप, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए उचित रूप से समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करे।

15. आरंभिक प्रक्रिया के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

16. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य, डीजीसीआई&एस के आंकड़ों के अनुसार संबंधित देशों से आयात के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क को समायोजित करके एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य निकाला गया है।

ग. डंपिंग मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और विचाराधीन देशों से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के संबंध में यह काफी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाण मिलता है कि विचाराधीन देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग की जा रही है।

छ. <u>चोट और कारण संबंध</u>

18. आवेदकों ने डंपित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषयगत देशों से विषयगत आयातों की मात्रा निरपेक्ष (पूर्ण) तथा सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

19. आयात के कारण कीमतों में गिरावट और कीमतों में कटौती के प्रमाण मिले हैं। इन आयातों का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदकों को जांच अवधि के दौरान लाभ में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान हुआ है। ये आयात भारतीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा हैं। कीमतों पर इसके हानिकारक प्रभावों के साथ-साथ, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है और कम लाभप्रदता भारतीय घरेलू उद्योगों की पूंजी जुटाने की क्षमता के लिए हानिकारक है।

20. उपरोक्त तथ्यों से, प्राधिकरण को प्रथम दृष्टया संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यातित वस्तुओं की डंपिंग, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित डंपिंग तथा क्षति के बीच कारण संबंध के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो नियमों के नियम 5 के तहत डंपिंग-विरोधी जांच शुरू करने, कथित डंपिंग के अस्तित्व, उसकी सीमा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा डंपिंग-विरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने को उचित ठहराते हैं, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. <u>जांच की शुरुआत</u>

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति को प्रमाणित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9ए और नियमों के नियम 5 के अनुसार कथित डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति की जांच शुरू करता है, ताकि कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और डंपिंग शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. सभी इच्छुक पक्षों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इच्छुक पक्षों द्वारा भेजे गए सभी पत्र-व्यवहार और प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस संख्या एडी (ओआई)-25/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियाँ का विवरण खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

24. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, और भारत में संबंधित उत्पाद से जुड़े आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस प्रारंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

25. कोई भी अन्य इच्छुक पक्ष भी इस प्रारंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी प्रस्तुति दे सकता है।

26. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले पक्ष को उसका एक गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें। संबंधित पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची,

मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से जाएं।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित मामले संख्या एडी (ओआई)-25/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (CV) और गैर-गोपनीय संस्करण (NCV), को संबंधित निर्धारित कॉलमों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को प्राधिकरण द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण SETU पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा या एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी हितबद्ध पक्षों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) से प्राधिकरण को अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर केवल सेतु (सेतु) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए 15-दिवसीय अवधि, इस आरंभ सूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. जांच आयोग/पीसीएएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकरण, अनुवर्ती सूचना के माध्यम से, जांच आयोग और पीसीएनएन में ऐसा संशोधन करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। यह 15 दिनों का विस्तार संशोधित जांच आयोग और पीसीएनएन की अधिसूचना की तिथि से दिया जाएगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद जांच आयोग और पीसीएनएन की कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि स्वीकृत हो) के बाद आगे के समय विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया

जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जैसा कि जांच प्राधिकरण नियमों के नियम 6(4) में उल्लिखित है।

32. समय सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद 29 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

33. यदि वर्तमान जांच में शामिल कोई भी पक्ष प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष को साथ ही साथ ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना होगा, जो कि एडी नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप हो। उपरोक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

34. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी निवेदन (जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, प्रश्नावली के उत्तरों सहित, गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करणों को अलग-अलग दाखिल करना आवश्यक है।

35. ऐसे सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" अंकित होना चाहिए। प्राधिकरण को बिना इस प्रकार के चिह्नों के प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को प्राधिकरण द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

36. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी जिसे सूचना प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या ऐसी जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह स्पष्ट कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अनुक्रमित किया जाना चाहिए या (जहां अनुक्रमण संभव न हो) हटा दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को गोपनीयता के दावे वाली जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए।

38. गोपनीय जानकारी का सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय रूप से दी गई जानकारी का सार आसानी से समझा जा सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के साथ-साथ नियमों, 1995 के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण सहित एक कारण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे प्राधिकरण संतुष्ट हो सके।

39. संबंधित पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तिथि से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

40. प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक है, तो प्राधिकरण ऐसी जानकारी को अनदेखा कर सकता है।

41. नियमों के नियम 8 के अनुसार, बिना किसी सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और उचित कारण विवरण के, और प्राधिकरण द्वारा गोपनीयता के दावे पर जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी याचिका प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में नहीं ली जाएगी।

42. यदि प्राधिकरण दी गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है, तो वह जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की विशेष अनुमति के बिना इसे किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

43. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सभी गैर-गोपनीय सामग्री के संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

44. यदि कोई भी संबंधित पक्ष उचित अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा इस प्रारंभिक अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर या बाद में अलग से दिए गए संचार के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे संबंधित पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उसे उचित लगे।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकरण

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 24-06-2026
19:51:07